

शिविर न्यायालय अंचल अधिकारी, मनेर

रि.प.स - 2352
6/9/13

अनुसूची फारम सं० स०/

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला.....पटना.....

केस का प्रकार कैम्प दा० खा० वाद सं०...../2013-14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																											
	<p>शिविर न्यायालय ग्राम.....में आवेदक श्री..... पिता/पति.....ग्राम..... थाना.....जिला.....ने निम्नांकित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे वसीका सं०.....दिनांक ..द्वारा इन्होंने श्री..... श्री.....ग्राम..... थाना.....जिला.....से क्रय किया है।</p> <p style="text-align: center;"><u>जमीन का विवरण</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>तौजी सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सा/का/प/२</td> <td>26.</td> <td>47</td> <td>357</td> <td>357</td> <td>0.8.150</td> <td rowspan="2">1.00</td> </tr> <tr> <td>टि/का/प/३</td> <td></td> <td>50</td> <td>360</td> <td>360</td> <td>0.15.150</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">023.150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त जमीन के दाखिल-खारिज हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का अनुशंसा प्राप्त है। जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। कैम्प में उपस्थित सभी लोगों से पूछताछ किया गया। किसी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा दखल कब्जा के आधार पर एक मात्र लगान वसूली के उद्देश्य से दाखिल-खारिज..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी, मनेर</p>	मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	लगान	सा/का/प/२	26.	47	357	357	0.8.150	1.00	टि/का/प/३		50	360	360	0.15.150						023.150		
मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	लगान																							
सा/का/प/२	26.	47	357	357	0.8.150	1.00																							
टि/का/प/३		50	360	360	0.15.150																								
					023.150																								

(Signature)
अंचल अधिकारी
मनेर